संख्या– 1710/86–2014–278/2011

प्रेषक,

संतोष कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनॉक – 8 जुलाई ,2014

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

विषय– प्रदेश में बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय–4 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई–निविदा प्रणाली के साथ–साथ निविदा प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नदी तल में स्थित बालू, मौरम, बजरी एवं बोल्डर इसमें से मिली जुली अवस्था के उपखनिज के रिक्त खनन क्षेत्रों के नियमावली 1963 के अध्याय–4 के अन्तर्गत ई–निविदा अथवा निविदा प्रणाली के माध्यम से परिहार पर देने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या–1710/86–2014–278/2011, दिनॉक 9.6.2014 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।

जिलों मे लागू की जाने वाली व्यवस्था का निर्धारण जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। ई–निविदा अथवा निविदा प्रणाली द्वारा नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से मिली जुली अवस्था के उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को परिहार पर देने हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी –

1– नदी तल स्थित उप खनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति एवं क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तथा सुरक्षित खनन को दृष्टिगत रखते हुए खण्ड का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 5.00 हेक्टेयर से कम नहीं होगा। छोटे निक्षेप के संबंध में यदि आवश्यक हो, तो विखण्डित होने के कारण वैज्ञानिक ढंग से उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खण्ड का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु ऐसे खण्डों के लिये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की अनुमति आवश्यक होगी।

2– निर्धारित खण्डों के लिये वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित खण्डों को ई–निविदा प्रणाली से परिहार पर देने हेतु प्रारूप–1 पर तथा निविदा प्रणाली से परिहार पर देने के लिये प्रारूप–2 पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिलाधिकारी या समिति ई–निविदाओं/निविदाओं

के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनॉक से कम से कम 30 दिन पूर्व किसी ऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में जिसका उस जिलें में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र (खण्ड) या वे क्षेत्र (खण्डों) स्थित हो, निविदा सूचना प्रकाशित कराकर ई–निविदा/निविदा आंमत्रित करेगें। ई–टेण्डर की स्थिति में उसे ई–निविदा प्रोंटल "uplc lko @ gmail. com" में अपलोड भी कराया जायेगा।

3. ई–निविदा/निविदा सूचना की प्रतिलिपियॉ जिलाधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर और उस क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकाई जायेगी।

4. जिलाधिकारी द्वारा ई–निविदा/निविदा कार्यवाहियों को संचालित करने के लिये निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया जायेगाः–

(क) जिलाधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी–	अध्यक्ष
(ख) प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी–	सदस्य
(ग) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग द्वारा नामित अधिकारी–	सदस्य
(घ) प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय–	सदस्य सचिव
(ङ) जनपद में तैनात खान अधिकारी एवं खान निरीक्षक–	सदस्य

5– ई–निविदा/निविदा से क्षेत्रों को 03 वर्ष की अवधि के लिये परिहार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6– निर्धारित खण्डों के लिये न्यूनतम प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण एवं मात्रा का मूल्याकंन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के तकनीकी अधिकारी से करा लिया जाय एवं तदनुसार आरक्षित मूल्य का उल्लेख विज्ञप्ति में भी किया जाय। आरक्षित मूल्य विगत तीन वर्षो में अधिकतम राजस्व से कम नही होगा।

7– कोई भी व्यक्ति, जो उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली–1963 के नियम 26 के अधीन अपात्र न हो, अपने हस्ताक्षर से निविदा यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को, सम्बोधित मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होगीः–

(क) निविदाकार का नाम, पिता का नाम और पता (स्थायी और अस्थायी)

(ख) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है।

(ग) दी गई धनराशि शब्दों और अंकों में।

(घ) जिला अधिकारी के पक्ष में बयाने के लिये उस क्षेत्र के, जिसके लिए ई–निविदा /निविदा प्रस्तुत की जा रही है, आरक्षित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रूपयें का बैंक ड्राफ्ट ।

(ङ) इस घोषणा के साथ कोई खनन संबंधी देय उस पर बाकी नहीं है जिला अधिकारी का एक प्रमाण पत्र या इस आशय का एक शपथ–पत्र।

(च) किसी सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी की गयी बैंक गारन्टी या सम्पत्ति प्रमाण पत्र या शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और स्थायी पता।

h

(छ) "यदि निर्धारित खण्ड (क्षेत्र) का वार्षिक मूल्यांकन रू0 2.00 लाख अथवा उससे अधिक हो तो प्रार्थी निम्नलिखित प्राधिकारियो के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगाः–

(एक) आयकर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी।
(दो) व्यापार कर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी।
(तीन) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ प्रार्थी स्थायी रूप से निवास करता हो।
(चार) उस जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जहाँ प्रार्थी स्थायी रूप से निवास करता हो।

पीठासीन अधिकारी निविदाओं को निविदाकारों की उपस्थिति में खोलेगा, (यदि वे निविदा खोलने के समय उपस्थित हों) और विभिन्न निविदाओं में दी गयी धनराशि की घोषणा करेगा। ऐसे निविदाकार को, जिसने अधिकतम धनराशि प्रस्तुत की है निविदा में प्रस्तावित धनराशि का 25 प्रतिशत पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये प्रतिभूति के रूप में और पट्टे की निबंधनों और शर्तो के सम्यक अनुपालन के लिये और स्वामित्व की प्रथम किस्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। निविदा को तब तक स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक कि समिति की संस्तुति के क्रम में जिला अधिकारी उसे स्वीकार न करें।

(ज) निविदा/ई–टेण्डर की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की प्रति पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में पर्यावरण विभाग को भी प्रेषित की जायेगी।

8– सफल निविदाकार पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त खनन संकियायें, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना दिनॉक 19 सितम्बर, 2006, समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानों के अधीन अपेक्षित पर्यावरण अनापत्ति (पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ करेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के अनुसार परियोजना प्रवर्तक (पट्टाधारक) को ही पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रकिया के अनुरूप प्राप्त करना होगा। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र मे उल्लिखित शर्तो का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

9– पॉच खनन पट्टे या 400 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

10– सफल निविदादाता के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त खनन संकियायें नियमानुसार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनायें, खनिज क्षेत्रों के भूमि सुधार एवं पुर्नवास के पहलू तथा निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खान बन्दी की उत्तरोत्तर योजना का व्यौरा होगा, की जायेगी।

11– प्रत्येक सफल निविदाकार द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम–34 (पैतिसवां संशोधन) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही वित्तीय आश्वासन दिया जायेगा।

12– नदीतल में 3 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संकिया नहीं की जायेगी और जिलाधिकारी अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं करेगा।

13– पट्टा अवधि में खनन संक्रियायें, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी मात्रा/अवधि तक ही की जायेगी, यदि उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित मात्रा/अवधि तक खनन कार्य कर लिया गया हो तो अग्रेतर खनन के लिये पुनः पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

14– आरक्षित मूल्य से कम निविदा प्राप्त होने, गम्भीर शिकायतों व विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को संदर्भित किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करके शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर जिलाधिकारी को प्रकरण के निस्तारण हेतु संसूचित किया जायेगा।

15– ई–निविदा के माध्यम से यदि परिहार स्वीकृत किया जाना हो तो ई–निविदा के लिये निर्धारित प्रक्रिया जो कि पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित की गयी है, के अनुसार ही की जायेगी और इस हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन नोडल एजेन्सी है।

16– ई–निविदा/ निविदा के माध्यम से यदि परिहार स्वीकृत किया जाना है तो नियमावली 1963 के अध्याय–4 में निहित प्रक्रिया के अनुसार ही जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

17– प्रत्येक जनपद के भौगोलिक, सामाजिक एवं खनिज क्षेत्र की स्थिति तथा राजस्व के दृष्टिकोण से ई–निविदा अथवा निविदा प्रणाली से क्षेत्रों को परिहार पर देने के संबंध में निर्णय जिलाधिकारी द्वारा ही लिया जायेगा। प्रतिबन्ध है कि प्रत्येक जनपद में ई–निविदा अथवा निविदा में से कोई एक प्रणाली द्वारा ही परिहार स्वीकृत किया जायेगा।

18– प्रभावी खनन पट्टों की अवधि जैसे–जैसे समाप्त होती जायेगी अथवा नये क्षेत्रों का गठन किया जायेगा उन्हें ई–निविदा अथवा निविदा प्रणाली के माध्यम से ही परिहार पर दिया जायेगा।

19– उत्तर प्रदेश शासन अथवा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20– माननीय न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।

21– ई–निविदा/निविदा एक वर्ष की स्वीकृत अधिकतम निविदा धनराशि के आधार पर स्वीकृत की जायेगी तथा अगामी वर्षों में पूर्ववर्ती वर्ष के निविदा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी। पट्टा विलेख सम्पूर्ण पट्टा अवधि के लिये एक साथ निष्पादित की जायेगी तथा खनन पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत लिया जायेगा।

22– पट्टा स्वीकृति के उपरान्त भारी मशीन के प्रयोग करने के पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय के सक्षम अधिकारी अथवा जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

23– स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन करने एवं अवैधानिक परिवहन प्रपत्रों के प्रयोग करते पाये जाने पर, सुनवाई का मौका दिये जाने के उपरान्त, यदि दोष सिद्व होता है तो पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

24– माफिया एवं असामजिक तत्वों के सहयोग लेने पर पट्टाधारक को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दोष सिद्व होने पर खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

25– खनन संकियायें प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत ही की जायेगी। उक्त का उल्लंघन पाये जाने पर खनन पट्टा निरस्त किया जा सकता है।

26– निविदा प्रकिया के अन्तर्गत तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग–अलग बन्द लिफाफे मे होगें तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित रहेगी। उक्त दोनों बन्द लिफाफे एक लिफाफे में तथा सीलबन्द कर निर्धारित निविदा–बक्से में डाले जायेगें।

27– खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिये संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

28– अन्य नियम एंव शर्ते :–

जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

संलग्नक– 1. निविदा प्रपत्र प्रारूप–1
2. ई–टेण्ड़रिंग प्रपत्र प्रारूप–2

भवदीय,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव।

पत्र संख्या–1710(1)/86-14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित जिले का नाम)
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।